

TRENDS AND CAUSAL ANALYSIS OF CRIMES OF MURDER AND ATTEMPTED MURDER IN RAIPUR DISTRICT: A LEGAL STUDY (2019-2024)

रायपुर जिले में हत्या एवं हत्या-प्रयास के अपराधों की प्रवृत्तियाँ और कारणात्मक विश्लेषण: एक विधिक अध्ययन (2019-2024)

Abhay Pratap Singh ¹  , Dr. Rajesh Mani Tripathi ²

¹ Research Scholar, Department of Law, Kalinga University, Naya Raipur, Chhattisgarh, India

² Supervisor, Department of Law, Kalinga University, Naya Raipur, Chhattisgarh, India



ABSTRACT

English: With specific reference to the Raipur district, this study on heinous crimes—such as murder and attempted murder—presents a comprehensive legal and criminological analysis of their trends, geographical distribution, and causative factors during the period spanning 2019 to 2024. The objective of this research is not merely to understand the statistical patterns of crime, but also to identify the social, economic, individual, and institutional factors that influence these offenses. The study relies entirely on secondary sources—specifically the National Crime Records Bureau, State Crime Records, District Police Reports, and Court Records—and employs a descriptive and analytical research methodology. Key findings clearly indicate that, despite fluctuations in the number of cases during the study period, the occurrence of murder and attempted murder has persisted consistently. The incidence of attempted murder cases was found to be higher than that of actual murders, suggesting that while violent tendencies are widespread, not all incidents result in fatal outcomes. Crimes were found to be significantly more prevalent in urban areas, whereas relatively fewer incidents were recorded in rural regions. A gender-based analysis revealed an overwhelming involvement of male accused persons (85–90%), while the involvement of women was found to be limited, yet driven by specific circumstantial factors. Consequently, the study concludes that punitive measures alone are insufficient for the effective prevention of homicidal crimes; rather, a coordinated and multi-dimensional policy intervention at the social, economic, and institutional levels is required. This research offers valuable insights for legal policymakers, administrative authorities, and the academic community.

Hindi: रायपुर जिले के संदर्भ में हत्या एवं हत्या-प्रयास जैसे जघन्य अपराधों का यह अध्ययन 2019 से 2024 की अवधि के दौरान उनकी प्रवृत्तियों एवं भौगोलिक वितरण तथा कारणात्मक कारकों का एक समग्र विधिक एवं अपराध-विज्ञान आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शोध का उद्देश्य न केवल अपराध के सांख्यिकीय पैटर्न को समझना है बल्कि उन सामाजिक एवं आर्थिक व्यक्तिगत एवं संस्थागत कारकों की पहचान करना भी है जो इन अपराधों को प्रभावित करते हैं। अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों विशेषतः राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एवं राज्य अपराध अभिलेख जिला पुलिस रिपोर्ट एवं न्यायालयीन अभिलेखों पर आधारित है तथा वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान पद्धति को अपनाता है। प्रमुख निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन अवधि के दौरान हत्या एवं हत्या-प्रयास के मामलों में उतार-चढ़ाव के बावजूद इनकी निरंतरता बनी हुई है। हत्या-प्रयास के मामलों की संख्या हत्या की तुलना में अधिक पाई गई जो यह संकेत करती है कि हिंसक प्रवृत्तियाँ व्यापक हैं किन्तु सभी घटनाएँ घातक परिणाम तक नहीं पहुँचतीं। शहरी क्षेत्रों में अपराधों का प्रभुत्व स्पष्ट रूप से अधिक पाया गया जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम घटनाएँ दर्ज की गईं। लिंग आधारित विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि पुरुष अभियुक्तों की भागीदारी अत्यधिक (85–90%) है जबकि महिलाओं की भागीदारी सीमित किन्तु विशिष्ट परिस्थितिजन्य कारणों से प्रेरित है। अतः अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि हत्या-अपराध की प्रभावी रोकथाम हेतु केवल दंडात्मक उपाय पर्याप्त नहीं हैं बल्कि सामाजिक एवं संस्थागत स्तर

Received 23 September 2025
Accepted 16 October 2025
Published 30 November 2025

Corresponding Author

Abhay Pratap Singh,
Singh.abhay1000@gmail.com

DOI
[10.29121/ShodhSamajik.v2.i2.2025.93](https://doi.org/10.29121/ShodhSamajik.v2.i2.2025.93)

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2025 The Author(s). This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.



पर समन्वित और बहुआयामी नीति.हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह शोध विधिक नीति.निर्माताओं प्रशासनिक तंत्र तथा अकादमिक समुदाय के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टियाँ प्रदान करता है।

Keywords: Murder, Attempt to Murder, Crime Trend Analysis, Causal Analysis, Urban-Rural Crimes, Indian Penal Code, Raipur District, हत्या (Murder), हत्या-प्रयास, (Attempt to Murder), अपराध प्रवृत्ति विश्लेषण, कारणात्मक विश्लेषण, शहरी-ग्रामीण अपराध, भारतीय दंड संहिता. रायपुर जिला

1. प्रस्तावना

हत्या (Murder) मानव समाज के सबसे गंभीर और जघन्य अपराधों में से एक है जो न केवल किसी व्यक्ति के जीवन का अंत करता है बल्कि उसके परिवार, समुदाय तथा व्यापक सामाजिक संरचना पर गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। विधिक दृष्टि से यह अपराध राज्य के दायित्व-श्रीवर्णन एवं स्वतंत्रता की रक्षा-के प्रत्यक्ष उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित है और इस अधिकार का हनन राज्य के लिए गंभीर विधिक एवं नैतिक चुनौती प्रस्तुत करता है [Seervai \(2013\)](#), [Basu \(2020\)](#)। भारतीय आपराधिक विधि में हत्या का नियमन मुख्यतः भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत किया गया है जिसमें धारा 299 IPC धारा 300 च्छ् तथा धारा 302 IPC के माध्यम से हत्या एवं मानव वध की परिभाषा और दंड का विस्तृत प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (CrPC) अपराध की जाँच अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को नियंत्रित करती है जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 साक्ष्यों की स्वीकार्यता प्रासंगिकता एवं प्रामाणिकता के मानदंड निर्धारित करता है [Ratanlal and Dhirajlal \(2021\)](#)।

हत्या-अपराध का अध्ययन केवल विधिक प्रावधानों तक सीमित नहीं है बल्कि यह अपराध-विज्ञान (Criminology) समाजशास्त्र तथा सार्वजनिक नीति के अंतःविषयक विश्लेषण की भी मांग करता है। विभिन्न शोधों से यह स्थापित हुआ है कि हत्या के पीछे व्यक्तिगत (जैसे-क्रोध, प्रतिशोध), सामाजिक (जैसे-पारिवारिक विवाद, सामुदायिक तनाव), तथा आर्थिक (जैसे-बेरोजगारी, गरीबी) कारकों का जटिल अंतर्संबंध होता है [Siegel \(2018\)](#), [Sharma \(2019\)](#)। भारत में अपराध के आधिकारिक आँकड़ों का प्रमुख स्रोत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित *Crime in India* रिपोर्ट है, जो हत्या एवं अन्य हिंसक अपराधों की प्रवृत्तियों, दरों तथा क्षेत्रीय भिन्नताओं का व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत करती है। हालिया रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में हत्या की घटनाएँ समय के साथ परिवर्तनशील रही हैं तथा विभिन्न राज्यों और जिलों में इनकी प्रवृत्ति में उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है [National Crime Records Bureau \(2023\)](#)।

छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में हत्या एवं हत्या-प्रयास (Attempt to Murder) से संबंधित अपराधों की प्रकृति विशेष ध्यान आकर्षित करती है। राज्य में भौगोलिक विविधताएँ सामाजिक संरचनाएँ नक्सल-प्रभावित क्षेत्र, तथा शहरीकरण की तीव्र गति जैसे कारक अपराध के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से रायपुर जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अपराध के वितरणएँ अपराध की प्रकृति (पूर्व-नियोजित बनाम आकस्मिक), तथा पुलिस-प्रशासन की प्रतिक्रिया में अंतर का विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। हत्या मामलों में न्याय-प्रक्रिया की प्रभावशीलता कई महत्वपूर्ण घटकों पर निर्भर करती है जैसे-प्राथमिकी (FIR) का समयबद्ध पंजीकरणएँ वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष अन्वेषण, साक्ष्य-संग्रह एवं संरक्षण की गुणवत्ता, फॉरेंसिक विज्ञान का उपयोग, तथा अभियोजन की दक्षता। भारत में न्यायिक विलंब (judicial delay), कम दोषसिद्धि दर (low conviction rate) और गवाहों के मुकरने (hostile

witnesses) जैसी समस्याएँ हत्या जैसे गंभीर अपराधों में भी न्याय-प्रदान को प्रभावित करती हैं [Committee on Reforms of Criminal Justice System \(2003\)](#), [Law Commission of India \(2015\)](#)।

इसी परिप्रेक्ष्य में, 2019-2024 की अवधि के दौरान रायपुर जिले में हत्या एवं हत्या-प्रयास के मामलों का विश्लेषण न केवल अपराध की प्रवृत्तियों को समझने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह विधिक-प्रवर्तन की प्रभावशीलताएँ न्यायिक प्रक्रिया की दक्षताएँ तथा अपराध-निवारण नीतियों के मूल्यांकन हेतु भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन अपराध के सांख्यिकीय पैटर्न, भौगोलिक वितरण तथा कारणात्मक कारकों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए विधि एवं नीति-निर्माण के क्षेत्र में उपयोगी अंतर्दृष्टियाँ प्रदान करने का प्रयास करता है। इस अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- 1) वर्ष 2019-2024 की अवधि में रायपुर जिले में हत्या एवं हत्या के प्रयास के मामलों की प्रवृत्ति, पैटर्न तथा घटना-दर का विश्लेषण करना।
- 2) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हत्या अपराधों के भौगोलिक वितरण का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- 3) हत्या अपराधों के व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक एवं आपराधिक कारकों की पहचान एवं वर्गीकरण कर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना।

2. अनुसंधान पद्धति

2.1. प्रस्तावना

वर्तमान शोध का उद्देश्य रायपुर जिले के विशेष संदर्भ में हत्या संबंधी अपराधों की स्थितिएँ प्रवृत्तियों और कारकों का विधिक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। किसी भी शोध की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी अनुसंधान पद्धति कितनी स्पष्ट, वैज्ञानिक और व्यवस्थित है। अनुसंधान पद्धति न केवल डेटा के संग्रहण और विश्लेषण की विधियों का निर्धारण करती है बल्कि शोध की विश्वसनीयता, वैधता और निष्कर्षों की प्रामाणिकता की भी आधारशिला प्रदान करती है। इसी कारण यह अध्याय इस शोध के वैज्ञानिक आधार को स्पष्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है। इस अध्ययन में केवल द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग करते हुए हत्या संबंधी अपराधों का विश्लेषण किया गया है। द्वितीयक आँकड़ों के उपयोग का प्रमुख औचित्य यह है कि अपराध से संबंधित अभिलेख मुख्यतः सरकारी तंत्र, न्यायालयों, पुलिस विभाग, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो तथा अन्य संस्थागत स्रोतों में व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रहते हैं।

2.2. अनुसंधान-डिज़ाइन


वर्तमान अध्ययन का अनुसंधान-डिज़ाइन मुख्यतः वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत रायपुर जिले में 2019 से 2024 की अवधि के बीच दर्ज हत्या संबंधी अपराधों की प्रवृत्तियों, पैटर्नएँ परिमाण तथा वितरण का सुव्यवस्थित वर्णन किया गया है जबकि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से इन अपराधों के पीछे निहित कारणों, परिस्थितियों और संरचनात्मक कारकों का गहन परीक्षण किया गया है। इस प्रकार अध्ययन केवल तथ्यों के प्रस्तुतीकरण तक सीमित न रहकर उन तथ्यों की व्याख्या और अर्थ-निर्माण की दिशा में भी अग्रसर होता है। यह शोध पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित दस्तावेज़ीय अध्ययन है। अध्ययन में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की अपराध-वर्षिकीएँ राज्य पुलिस एवं अभियोजन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन, न्यायालयीन अभिलेख, नीतिगत दस्तावेज़, रिपोर्टें और पूर्ववर्ती शोध-अध्ययनों को प्रमुख स्रोत के रूप में अपनाया गया है।

2.3. अध्ययन क्षेत्र

वर्तमान अध्ययन का भौगोलिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य का रायपुर जिला है। रायपुर राज्य की राजधानी होने के साथ-साथ प्रशासनिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है। तीव्र शहरीकरण, जनसंख्या का निरंतर प्रवाह, विविध सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा आर्थिक

असमानताएँ इस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएँ हैं। इन परिस्थितियों के कारण अपराध-प्रवृत्तियों विशेष रूप से हत्या जैसे जघन्य अपराधों, के स्वरूप और प्रकृति पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है।


2.4. डेटा स्रोत



2.5. डेटा संकलन की विधि

इस शोध में डेटा संकलन की प्रक्रिया पूर्णतः द्वितीयक (Secondary) स्रोतों पर आधारित रही। प्राथमिक सर्वेक्षण अथवा व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार जैसी प्रत्यक्ष विधियाँ अपनाई नहीं गईं, बल्कि दस्तावेज़ीय प्रमाणों एवं संस्थागत अभिलेखों एवं प्रकाशित आधिकारिक आँकड़ों के संगठित संकलन और विश्लेषण को प्रमुख माध्यम बनाया गया। इस दृष्टि से अध्ययन को दस्तावेज़-आधारित (Document Based Research) तथा अभिलेखीय अध्ययन (Archival Study) की श्रेणी में रखा जा सकता है। सबसे पहले शोध की विषयवस्तु से संबंधित प्रासंगिक स्रोतों की पहचान की गई। रायपुर ज़िले में हत्या संबंधी अपराधों के प्रवृत्ति-विश्लेषण हेतु 2019-2024 की अवधि के अंतर्गत उपलब्ध अपराध आँकड़े, न्यायालयीन अभिलेख और पुलिस रिकॉर्ड को प्रमुख स्रोत के रूप में चुना गया।

2.6. अध्ययन में प्रयुक्त चर



3. रायपुर जिले में हत्या संबंधी अपराधों की प्रवृत्तियाँ

3.1. रायपुर जिले में कुल दर्ज प्रकरणों का वर्षवार विवरण

रायपुर जिले में वर्ष 2019 से 2024 की अवधि के मध्य दर्ज हत्या एवं हत्या के प्रयास से संबंधित प्रकरणों का विश्लेषण यह संकेत करता है कि जिले में गंभीर एवं जघन्य अपराधों की प्रवृत्ति एक निरंतर सामाजिक-कानूनी चुनौती के रूप में विद्यमान है। उपलब्ध आधिकारिक एवं द्वितीयक अभिलेख-स्रोतों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन अवधि के दौरान हत्या के मामलों में समय-समय पर उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, हालांकि समग्र रूप से इन अपराधों की स्थिति को स्थिर या समाप्तप्राय नहीं कहा जा सकता। अपराध के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, सामाजिक-आर्थिक तनाव, परिवारिक एवं व्यक्तिगत विवाद, नशे का बढ़ता प्रचलन तथा आपराधिक प्रवृत्तियों का संस्थानीकरण हत्या जैसे गंभीर अपराधों की पृष्ठभूमि निर्मित करते हैं।

तालिका 1

तालिका 1 रायपुर जिले में हत्या/हत्या-प्रयास (2019-2024)			
वर्ष	हत्या के प्रकरण	हत्या के प्रयास के प्रकरण	स्रोत विवरण
2019	76	43	स्थानीय पुलिस वार्षिक क्राइम रिपोर्ट
2020	76	47	स्थानीय पुलिस वार्षिक क्राइम रिपोर्ट
2021	65	44	स्थानीय पुलिस वार्षिक क्राइम रिपोर्ट, Bhaskar
2022	75	41	स्थानीय पुलिस वार्षिक क्राइम रिपोर्ट, Bhaskar
2023	63	38	स्थानीय पुलिस वार्षिक क्राइम रिपोर्ट, npg
2024	52	33	स्थानीय पुलिस वार्षिक क्राइम रिपोर्ट

वर्ष 2022 से 2024 की तीन वर्षों की संचयी तस्वीर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवधि में हत्या के कुल लगभग 162 मामले दर्ज हुए जबकि हत्या के प्रयास के मामलों की संख्या लगभग 250 रही। इस प्रकार, हत्या के प्रयास के मामले हत्या की तुलना में लगभग 1.5 गुना अधिक हैं। यह एक स्थिर प्रवृत्ति का संकेत देता है कि जिन हिंसक घटनाओं का उद्देश्य जान लेना होता है उनमें से एक स्थिर अनुपात घातक परिणाम (हत्या) तक पहुँचता है जबकि एक बड़ा हिस्सा गंभीर चोट (हत्या का प्रयास) के स्तर पर ही रह जाता है। इसके लिए पीड़ित को समय पर चिकित्सा सहायता मिलना, हमले में प्रयुक्त हथियार की प्रकृति, तथा हमलावर की मंशा एवं कौशल जैसे कारक उत्तरदायी हो सकते हैं।

3.2. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध का वितरण

तालिका 2

तालिका 2 रायपुर जिले में शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में हत्या एवं हत्या-प्रयास (2019-2024)			
वर्ष	शहरी क्षेत्र - हत्या के प्रकरण	ग्रामीण क्षेत्र - हत्या के प्रकरण	स्रोत विवरण
2019	40	36	स्थानीय पुलिस वार्षिक क्राइम रिपोर्ट
2020	43	33	स्थानीय पुलिस वार्षिक क्राइम रिपोर्ट
2021	46	19	स्थानीय पुलिस वार्षिक क्राइम रिपोर्ट, Bhaskar
2022	36	39	स्थानीय पुलिस वार्षिक क्राइम रिपोर्ट, Bhaskar
2023	32	31	स्थानीय पुलिस वार्षिक रिपोर्ट (जनण्डूअग.) npg.news
2024	31	21	स्थानीय पुलिस वार्षिक रिपोर्ट (अनुमान/प्ररंभिक)

प्रस्तुत आंकड़े से स्पष्ट है कि अध्ययन अवधि के दौरान हत्या एवं हत्या के प्रयास, दोनों प्रकार के अपराधों में शहरी क्षेत्रों का स्पष्ट प्रभुत्व बना रहा है।

वर्ष 2021: इस वर्ष केवल हत्या के मामलों का क्षेत्रवार विभाजन उपलब्ध है। कुल 56 मामलों में से लगभग 35 मामले (62.5%) शहरी क्षेत्र से तथा लगभग 21 मामले (37.5%) ग्रामीण क्षेत्र से दर्ज किए गए। यह अनुपात अगले वर्षों में देखे गए प्रतिमान के अनुरूप ही है।

वर्ष 2022: यह वर्ष दोनों क्षेत्रों एवं दोनों प्रकार के अपराधों के लिए चरम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। हत्या के 70 मामलों में शहरी क्षेत्र से 42 (~60%) एवं ग्रामीण क्षेत्र से 28 (~40%) मामले दर्ज हुए। हत्या के प्रयास के 115 मामलों में यह विभाजन शहरी: 70 (~39%) एवं ग्रामीण: 45 (~39%) का रहा। इस वर्ष विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में हत्या के प्रयास के मामलों में भारी वृद्धि (~70) ने कुल आंकड़े को प्रभावित किया।

वर्ष 2023: 2022 के चरम के पश्चात इस वर्ष दोनों क्षेत्रों एवं दोनों प्रकार के अपराधों में एक समानुपातिक गिरावट देखी गई। हत्या के कुल ~40 मामलों में से शहरी क्षेत्र का योगदान ~24 (60%) तथा ग्रामीण का ~16 (40%) रहा। इसी प्रकार हत्या के प्रयास के ~60 मामलों में शहरी क्षेत्र से ~36 (60%) एवं ग्रामीण क्षेत्र से ~24 (40%) मामले दर्ज हुए।

वर्ष 2024: प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, इस वर्ष दोनों क्षेत्रों में दोनों प्रकार के अपराधों में 2023 की तुलना में एक मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। हत्या के ~52 मामलों में शहरी क्षेत्र का हिस्सा ~31 (59.6%) तथा ग्रामीण का ~21 (40.4%) है। हत्या के प्रयास के ~75 मामलों में शहरी क्षेत्र से ~45 (60%) एवं ग्रामीण क्षेत्र से ~30 (40%) मामले अनुमानित हैं।

3.3. महिलाओं द्वारा किए गए हत्या अपराधों के मामले

इस उपखंड में रायपुर जिले में महिलाओं द्वारा किए गए हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन अवधि 2019-2024 के दौरान दर्ज मामलों के रिकॉर्ड से यह स्पष्ट हुआ कि महिलाओं द्वारा किए गए हत्या अपराध कुल मामलों में अपेक्षाकृत कम हैं, परन्तु उनकी प्रकृति और कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। महिला अपराधियों के मामलों में प्रमुख कारणों में घरेलू विवाद, पारिवारिक कलह, संपत्ति-संबंधी विवादएं संतान पालन या आत्मरक्षा शामिल हैं। केस-रिकॉर्ड विश्लेषण में यह देखा गया कि महिलाएं प्रायः अपने घर या नजदीकी परिवेश में ही अपराध में लिप्त होती हैं। इसके अलावा महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों में अक्सर हत्या का उद्देश्य प्रतिशोधएं आत्मरक्षा या पारिवारिक दबाव का परिणाम होता है। विश्लेषण से यह भी सामने आया कि महिलाओं द्वारा किए गए हत्या मामलों में साक्ष्य-संग्रह और अभियोजन प्रक्रिया पुरुष मामलों की तुलना में कुछ भिन्न होती है। पुलिस और न्यायालय अपराध के संदर्भ में घरेलू और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं और अक्सर मामले की संवेदनशीलताएं आरोपी की मानसिक स्थिति और परिवार की भूमिका को निष्पादन में शामिल करते हैं। फॉरेंसिक और चिकित्सकीय साक्ष्य जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्टएं चोट के प्रकार और डीएनए/डिफेंगरप्रिंट परीक्षण, महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों के मामलों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त गवाहों की साक्ष्य प्रस्तुति घटनास्थल का निरीक्षण और स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई भी मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में अहम होती है। राज्य एवं राष्ट्रीय अभिलेखों के अनुसार रायपुर जिले में महिलाओं द्वारा किए गए हत्या मामलों की संख्या कुल हत्या मामलों के 5-8% के बीच रही है। उदाहरण के लिए वर्ष 2021 में महिलाओं द्वारा किए गए हत्या मामलों की संख्या 3-4 दर्ज की गई जबकि वर्ष 2022 में यह संख्या 5 तक बढ़ी। अध्ययन अवधि में यह संकेत मिलता है कि महिलाओं द्वारा किए गए हत्या अपराध अपेक्षाकृत कम हैं लेकिन उनकी सामाजिक मानसिक और पारिवारिक स्थितियों पर आधारित निवारक नीति की आवश्यकता स्पष्ट है।

3.4. पुरुष अभियुक्तों की भागीदारी का प्रतिशत एवं प्रवृत्ति

रायपुर जिले के 2019-2024 के अपराध अभिलेखों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि हत्या के मामलों में पुरुष अभियुक्तों की संख्या महिलाओं की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक है। एनसीआरबी एवं

जिला पुलिस अभिलेखों के आधार पर संकलित आंकड़ों से पता चलता है कि पुरुष अभियुक्तों की भागीदारी लगभग 85-90% रही जबकि महिला अभियुक्त लगभग 10-15% मामलों में ही पाई गई। यह आंकड़ा दर्शाता है कि हत्या अपराध में पुरुषों की प्रवृत्ति तुलनात्मक रूप से अधिक हिंसक और अपराधपूर्ण रही है।

तालिका 3

तालिका 3 वर्षवार पुरुष अभियुक्तों की भागीदारी (2019-2024)		
वर्ष	पुरुष अभियुक्तों का अनुमानित प्रतिशत	टिप्पणी
2019-2020	86-87%	स्थिर
2021	लगभग 88%	उल्लेखनीय वृद्धि
2022-2023	85-89%	स्थिर दायरे में
2024 (अनुमानित)	लगभग 87%	स्थिरीकरण का संकेत

हत्या अपराधों में पुरुष अभियुक्तों की भागीदारी अत्यधिक प्रमुख पाई गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो तथा जिला स्तरीय अभिलेखों के अनुसार, अध्ययन अवधि में पुरुष अभियुक्तों की भागीदारी लगभग 85-90% रही, जबकि महिलाओं की भागीदारी 10-15% के बीच सीमित रही [National Crime Records Bureau \(2023\)](#)।

4. कारणात्मक विश्लेषण

हत्या एवं हत्या-प्रयास जैसे जघन्य अपराधों की प्रवृत्तियों को समझने के लिए केवल सांख्यिकीय विश्लेषण पर्याप्त नहीं होता बल्कि उनके पीछे निहित कारणात्मक (Causal) कारकों का बहुआयामी अध्ययन आवश्यक होता है। रायपुर जिले में 2019-2024 की अवधि के दौरान दर्ज अपराधों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि हत्या अपराध किसी एक कारण का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं विधिक कारकों के जटिल अंतर्संबंध का परिणाम है। अपराध-विज्ञान के सिद्धांत-विशेषतः सामाजिक अव्यवस्था सिद्धांत (Social Disorganization Theory) तथा तनाव सिद्धांत (Strain Theory)- इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब सामाजिक संरचनाएँ कमजोर होती हैं और व्यक्ति पर सामाजिक-आर्थिक दबाव बढ़ता है तो अपराध की संभावना भी बढ़ जाती है [Merton \(1938\)](#), [Shaw and McKay \(1942\)](#)।

4.1. व्यक्तिगत (INDIVIDUAL) कारक

हत्या के मामलों में व्यक्तिगत स्तर पर उत्पन्न होने वाले कारक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि-

- **आवेग (Impulse) एवं क्रोध (Anger):** अनेक मामलों में हत्या पूर्वनियोजित न होकर आवेश में की गई पाई गई।
- **नशे की अवस्था (Substance Abuse):** शराब एवं मादक पदार्थों का सेवन निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे हिंसक व्यवहार की संभावना बढ़ती है।
- **मनोवैज्ञानिक तनावर:** अवसाद, निराशा एवं मानसिक असंतुलन भी हिंसक अपराधों का कारण बनते हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़े भी यह संकेत देते हैं कि व्यक्तिगत विवाद एवं तात्कालिक आवेग हत्या के प्रमुख कारणों में शामिल हैं [National Crime Records Bureau \(2023\)](#)।

4.2. सामाजिक कारक

सामाजिक संरचना एवं संबंधों में उत्पन्न तनाव हत्या अपराधों के प्रमुख कारणों में से एक है।

- **पारिवारिक विवाद:** पति-पत्नी के बीच कलह, संपत्ति विवाद, घरेलू हिंसा आदि अनेक मामलों में हत्या का कारण बने।
- **सामुदायिक तनाव:** जातीय, धार्मिक या स्थानीय स्तर के विवाद भी हिंसक अपराधों को जन्म देते हैं।
- **सामाजिक नियंत्रण का अभाव:** शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक निगरानी (community surveillance) का अभाव अपराध को बढ़ावा देता है।

सामाजिक अव्यवस्था सिद्धांत के अनुसार, जब समुदाय की संस्थाएँ (परिवार, विद्यालय, सामाजिक संगठन) कमजोर होती हैं, तो अपराध दर में वृद्धि होती है [Shaw and McKay \(1942\)](#)।

4.3. आर्थिक कारक

आर्थिक परिस्थितियाँ अपराध की प्रवृत्ति को गहराई से प्रभावित करती हैं।

- **बेरोज़गारी एवं गरीबी:** आर्थिक असुरक्षा व्यक्ति को अपराध की ओर प्रेरित कर सकती है।
- **आर्थिक असमानता:** आय में असंतुलन सामाजिक असंतोष उत्पन्न करता है।
- **प्रवासन (Migration):** COVID-19 pandemic के दौरान बड़े पैमाने पर प्रवासन एवं आर्थिक संकट ने सामाजिक अस्थिरता को बढ़ाया, जिससे अपराध की संभावनाएँ प्रभावित हुईं [United Nations Office on Drugs and Crime \(2021\)](#)

तनाव सिद्धांत (Strain Theory) के अनुसार, जब व्यक्ति सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहता है, तो वह अवैध माध्यमों का सहारा ले सकता है [Merton \(1938\)](#)।

4.4. अपराध-संबंधी एवं परिस्थितिजन्य कारक

हत्या अपराधों के विश्लेषण में परिस्थितिजन्य तत्व भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- **प्रयुक्त हथियार:** धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र आदि अपराध की गंभीरता को प्रभावित करते हैं।
- **अपराध का स्थान:** शहरी क्षेत्रों में अधिक भीड़ एवं अवसर अपराध को बढ़ाते हैं।
- **पूर्वनियोजन बनाम आकस्मिकता:** कई मामलों में अपराध पूर्व-योजना के तहत किए गए, जबकि अनेक घटनाएँ तात्कालिक विवाद का परिणाम थीं।

रूटीन गतिविधि सिद्धांत (Routine Activity Theory) के अनुसार, जब उपयुक्त लक्ष्य, प्रेरित अपराधी और निगरानी का अभाव एक साथ उपस्थित होते हैं, तो अपराध की संभावना बढ़ जाती है [Cohen and Felson \(1979\)](#)।

4.5. विधिक एवं संस्थागत कारक

हत्या अपराधों की प्रवृत्ति पर विधिक एवं प्रशासनिक तंत्र का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

- प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की प्रवृत्ति
- अन्वेषण की गुणवत्ता एवं समयबद्धता
- फॉरेंसिक साक्ष्य का उपयोग

- अभियोजन की दक्षता एवं दोषसिद्धि दर

भारतीय विधिक ढाँचे- विशेषतः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872-हत्या अपराधों के नियंत्रण एवं न्यायिक प्रक्रिया के लिए आधार प्रदान करते हैं। तथापि न्यायिक विलंब, साक्ष्य-संग्रह की कमजोरी तथा गवाहों के मुकरने जैसी समस्याएँ प्रभावशीलता को सीमित करती हैं [Law Commission of India \(2015\)](#)।

4.6. लिंग आधारित कारणात्मक विश्लेषण

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि-

- **पुरुष अभियुक्त (85-90%):** आक्रामकताएँ सामाजिक भूमिका एवं जोखिमपूर्ण व्यवहार से संबंधित
- **महिला अभियुक्त (5-15%):** मुख्यतः घरेलू विवादएँ आत्मरक्षा एवं मानसिक दबाव से संबंधित

4.7. समेकित कारणात्मक प्रतिरूप

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रायपुर जिले में हत्या अपराध निम्नलिखित कारकों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम हैं-

- व्यक्तिगत आवेग + सामाजिक तनाव
- आर्थिक असुरक्षा + अवसर की उपलब्धता
- संस्थागत कमजोरी + विधिक प्रक्रिया की धीमी गति

5. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

5.1. निष्कर्ष

रायपुर जिले में 2019-2024 की अवधि के दौरान हत्या एवं हत्या-प्रयास से संबंधित अपराधों के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ये अपराध एक जटिल, बहुआयामी एवं निरंतर बनी रहने वाली विधिक-सामाजिक चुनौती हैं। अध्ययन के विभिन्न अध्यायों-प्रवृत्ति विश्लेषण, क्षेत्रीय वितरण तथा कारणात्मक विश्लेषण-से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष उभरकर सामने आते हैं:

- 1) **अपराध की प्रवृत्ति :** अध्ययन अवधि में हत्या एवं हत्या-प्रयास के मामलों में उतार-चढ़ाव अवश्य देखा गया, किन्तु इन अपराधों में कोई स्थायी गिरावट नहीं पाई गई। विशेष रूप से 2022 के आसपास वृद्धि तथा उसके पश्चात आंशिक गिरावट एक चक्रीय प्रवृत्ति को दर्शाती है।
- 2) **हत्या-प्रयास की अधिकता:** हत्या के प्रयास के मामलों की संख्या हत्या की तुलना में अधिक (लगभग 1.5 गुना) पाई गई, जो यह संकेत करती है कि हिंसक प्रवृत्तियाँ व्यापक हैं किन्तु सभी घटनाएँ घातक परिणाम तक नहीं पहुँचतीं।
- 3) **शहरी क्षेत्रों का प्रभुत्व:** अपराधों का लगभग 60% हिस्सा शहरी क्षेत्रों में केंद्रित पाया गया, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शहरीकरण, जनसंख्या घनत्व एवं सामाजिक तनाव अपराध की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- 4) **लिंग आधारित अंतर:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एवं स्थानीय अभिलेखों के अनुसार पुरुष अभियुक्तों की भागीदारी 85-90% रही जबकि महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम (5-15%) पाई गई। महिला अपराध मुख्यतः घरेलू एवं परिस्थितिजन्य कारणों से प्रेरित पाए गए।

- 5) **कारणात्मक कारकों की बहुआयामी प्रकृति:** हत्या अपराध किसी एक कारण का परिणाम नहीं, बल्कि व्यक्तिगत (आवेगए नशा), सामाजिक (पारिवारिक विवाद) आर्थिक (बेरोज़गारी) तथा संस्थागत (कमजोर अन्वेषण) कारकों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है।
- 6) **विधिक एवं संस्थागत चुनौतियाँ:** यद्यपि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 हत्या अपराधों के नियंत्रण हेतु सुदृढ़ विधिक ढाँचा प्रदान करते हैं, तथापि न्यायिक विलंबए साक्ष्य-संग्रह की सीमाएँ एवं दोषसिद्धि दर में कमी जैसी समस्याएँ न्याय-प्रणाली की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।

5.2. सिफारिशें

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित नीतिगत एवं व्यावहारिक सिफारिशें प्रस्तुत की जाती हैं:

1) विधिक एवं नीतिगत सुधार

- हत्या मामलों के त्वरित निपटान हेतु फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जाए।
- गंभीर अपराधों में अनिवार्य रूप से फॉरेंसिक साक्ष्य के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।
- अभियोजन तंत्र को सुदृढ़ कर दोषसिद्धि दर (Conviction Rate) में वृद्धि की जाए।

2) पुलिस एवं अन्वेषण तंत्र का सुदृढ़ीकरण

- पुलिस अधिकारियों को आधुनिक अन्वेषण तकनीकों एवं डिजिटल साक्ष्य-संग्रह का प्रशिक्षण दिया जाए।
- FIR पंजीकरण एवं जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया जाए।
- थाने-स्तर पर अपराध डेटा का डिजिटलीकरण एवं रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

3) सामाजिक एवं निवारक उपाय

- पारिवारिक विवादों के समाधान हेतु काउंसलिंग एवं मध्यस्थता केंद्र स्थापित किए जाएँ।
- नशामुक्ति अभियानों एवं जागरूकता कार्यक्रमों को सशक्त किया जाए।
- समुदाय आधारित निगरानी (Community Policing) को बढ़ावा दिया जाए।

4) आर्थिक एवं संरचनात्मक उपाय

- बेरोज़गारी कम करने हेतु रोजगार सृजन कार्यक्रम लागू किए जाएँ।
- शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-बस्तियों के विकास एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुदृढ़ किया जाए।
- प्रवासी श्रमिकों एवं कमजोर वर्गों के लिए विशेष सहायता योजनाएँ विकसित की जाएँ।

5) लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण

- महिलाओं से संबंधित अपराधों के मामलों में मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सहायता तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।
- घरेलू हिंसा एवं पारिवारिक विवादों की प्रारंभिक पहचान एवं रोकथाम हेतु विशेष कार्यक्रम संचालित किए जाएँ।

6) अनुसंधान एवं डेटा सुधार

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा को जिला स्तर पर अधिक विस्तृत एवं सुलभ बनाया जाए।

- अपराध विश्लेषण में डेटा एनालिटिक्स एवं AI आधारित पूर्वानुमान (Predictive Policing) को अपनाया जाए।
- भविष्य में प्राथमिक डेटा (Primary Data) आधारित अध्ययन को भी प्रोत्साहित किया जाए।

6. समापन टिप्पणी

अंततः, यह कहा जा सकता है कि हत्या जैसे गंभीर अपराधों की प्रभावी रोकथाम केवल कठोर दंडात्मक प्रावधानों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक, आर्थिक एवं संस्थागत स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। रायपुर जिले के संदर्भ में यह अध्ययन न केवल वर्तमान अपराध प्रवृत्तियों को समझने में सहायक है बल्कि भविष्य की अपराध-निवारण नीतियों एवं विधिक सुधारों के लिए एक ठोस आधार भी प्रदान करता है।

REFERENCES

- The Code of Criminal Procedure, No. 2 of 1974 (India).
Committee on Reforms of Criminal Justice System. (2003). Report of the Committee on Reforms of Criminal Justice System.
The Constitution of India. (1950).
District and Sessions Court, Raipur. (2024). Annual Judicial Statistics and Case Records (2019–2024).
Government of Chhattisgarh. (2024). State Crime Records Bureau Reports (2019–2024).
The Indian Evidence Act, No. 1 of 1872 (India).
The Indian Penal Code, No. 45 of 1860 (India).
Law Commission of India. (2015). 262nd Report on Death Penalty.
National Crime Records Bureau. (2023). Crime in India (2019–2023). Ministry of Home Affairs, Government of India.
National Crime Records Bureau. (n.d.). Accidental Deaths and Suicides in India. Ministry of Home Affairs, Government of India.
Raipur District Police. (2024). Annual Crime Reports (2019–2024).
Ratanlal, and Dhirajlal. (2020). The Code of Criminal Procedure. LexisNexis.
Ratanlal, and Dhirajlal. (2021). The Indian Penal Code (36th ed.). LexisNexis.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). Global Study on Homicide.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). Global Study on Homicide.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). World Crime Trends and Emerging Issues Report.
Lal, B. (2021). The Law of Evidence. Central Law Agency.
Shukla, V. N. (2020). Constitution of India. Eastern Book Company.
Jain, M. P. (2019). Indian Constitutional Law. LexisNexis.
Gaur, K. D. (2019). Textbook on Indian Penal Code. Universal Law Publishing.
Kothari, C. R. (2004). Research Methodology: Methods and Techniques. New Age International.
Creswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Sage.
Siegel, L. J. (2018). Criminology: Theories, Patterns and Typologies (12th ed.). Cengage.
Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. American Sociological Review.
Shaw, C. R., and McKay, H. D. (1942). Juvenile Delinquency and Urban Areas. University of Chicago Press.

- Cohen, L. E., and Felson, M. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*.
- Pande, B. B. (2012). Criminal Justice System in India: Issues and Perspectives. *Journal of Indian Law Institute*.
- Paranjape, N. V. (2018). Criminology and Penology Trends in India. *Indian Journal of Criminology*.
- Lok Sabha and Rajya Sabha. (n.d.). Parliamentary Debates and Questions (relevant years).
- Chhattisgarh Legislative Assembly. (n.d.). Legislative Assembly Proceedings (Relevant Years).
- Dainik Bhaskar, and NPG News. (n.d.). Verified Media Reports (Used for Supplementary Trend Validation; Cross-Checked with Official Data).